न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/148

रामसहाय आत्मज श्री गेंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. रामप्रताप आत्मज श्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज श्री गेंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मोत्या पत्नी श्री गेंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मिश्री बाई पुत्री श्री गेंदीलाल पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी ग्राम पाई, पंचायत फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मनभर (मृतक) पुत्री गेंदीलाल पत्नी सोहनलाल जरिये कायममुकामान :–
   5/1. सुगना पुत्री मनभर
   5/2. जयराज पुत्र मनभर
   5/3. खुशीराम पुत्र मनभर पिसरान सोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पाई, पचायत फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. मीरा पुत्री गेंदीलाल पत्नी राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवीस ग्राम सतवाडा तहसील देवली जिला टोंक ।
7. नटी पुत्री गेंदीलाल पत्नी श्योजीलाल जाति मीणा निवीस ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी ग्राम बालापुरा पंचायत सिसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. बदाम पुत्री श्री रामनारायण पत्नी श्री नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी मोतीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. अम्बालाल आत्मज श्री लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. रंगलाल आत्मज श्री लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. मनभर पुत्री श्री लोडक्या पत्नी भुवाना जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी केदादा पंचायत चारनेट तहसील देवली जिला टोंक ।
12. गीता पुत्री श्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. भूमिधारी तहसीलदार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय नैनवा जिला बून्दी ।
14. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा नैनवा द्वारा श्रीमान् शाखा प्रबन्धक नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/149

रामसहाय आत्मज श्री गेंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. रामप्रताप आत्मज श्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज श्री गेंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मोत्या पत्नी श्री गेंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मिश्री बाई पुत्री श्री गेंदीलाल पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी ग्राम पाई, पंचायत फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मनभर (मृतक) पुत्री गेंदीलाल पत्नी सोहनलाल जरिये कायममुकामान :–
   5/1. सुगना पुत्री मनभर
   5/2. जयराज पुत्र मनभर
   5/3. खुशीराम पुत्र मनभर पिसरान सोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पाई, पचायत फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. मीरा पुत्री गेंदीलाल पत्नी राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवीस ग्राम सतवाडा तहसील देवली जिला टोंक ।
7. नटी पुत्री गेंदीलाल पत्नी श्योजीलाल जाति मीणा निवीस ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी ग्राम बालापुरा पंचायत सिसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. बदाम पुत्री श्री रामनारायण पत्नी श्री नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी मोतीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. अम्बालाल आत्मज श्री लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. रंगलाल आत्मज श्री लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा पोस्ट दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. मनभर पुत्री श्री लोडक्या पत्नी भुवाना जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा हाल निवासी केदादा पंचायत चारनेट तहसील देवली जिला टोंक ।
12. गीता पुत्री श्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. भूमिधारी तहसीलदार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय नैनवा जिला बून्दी ।
14. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा नैनवा द्वारा श्रीमान् शाखा प्रबन्धक नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 से 10 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने एवं एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 09 किता की रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम रघुनाथपुरा में खाता संख्या 115 में खसरा नम्बर 185/2 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या 224 में कुल 12 किता की रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 117 की 13 बीघा 06 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, खात संख्या 115 की 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 224 की रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है और वादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो गया है और उसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी के मन में बदनियति आ गई है और पूर्व में हुए बाहमी विभाजन से इंकार करने लग गये हैं । वादी ने पूर्व में हुए बाहमी विभाजन के अनुसार विभाजन करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने खातेदारी में दर्ज करावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में प्राप्त भूमि को पृथक से उसके खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि का पृथक से वादी के लगान का निर्धारण किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की भूमियों पर वादी के कब्जे काश्त में

किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें, वादी की फसल को नष्ट नहीं करें तथा वादी के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.06.2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक पारित जारी की तथा प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 15.02.2017 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 02 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट ने किसी भी दस्तावेज को प्रदर्श नहीं करवाया । अपीलान्ट के पक्ष में कोई भी साक्ष्य साबित हुए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है । पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य में लम्बित थी । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.02.2017 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.02.2017 को अपीलान्ट अपने वकील साहब के पास तारीख पेशी पूछने आया तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल दिनांक 23.02.2017 को प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित कर साबित नहीं करवाया था । कानून के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । साक्ष्य की विवेचना किये बिना दावा वादी स्वीकार किया है । जवाबदावे पर गौर नहीं किया है दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये बिना तनकीयात को तय किये निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था इसके उपरान्त भी गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के पूर्व ही प्रतिवादी कम 05 मनभर पुत्री गेंदीलाल की मृत्यु हो चुकी थी । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । प्रतिवादी संख्या 08 लाऔलाद फौत हो चुकी है । उनके खाते की आराजी जरिये रिलीज डीड अपीलान्ट रामसहाय

को हस्तान्तरित की जा चुकी है । अंतिम डिक्री जारी करने के पूर्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.02.2017 निरस्त किये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपील बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालाना में तहसील से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.02.2017 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसमें साक्ष्य हेतु दिनांक 23.06.2016 की तारीख नियत की गई है । इससे पूर्व ही दिनांक 13.06.2016 को पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी क्रम 02 रामसहाय की उपस्थिति दर्ज की गई है । शेष प्रतिवादीगण न तो उपस्थित हुए हैं और नही ही समस्त पक्षकारान के द्वारा उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । अंतिम डिक्री जारी करने हेतु तहसील से जो बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है उसका अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। तहसीलदार के द्वारा इसको अग्रेषित किया गया है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/148 एवं 17/149 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.02.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी करें और प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के उपरान्त राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा